

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3524

बुधवार, 2 अप्रैल, 2025 (12 चैत्र, 1947 (शक)) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों की रैंकिंग रूपरेखा में तकनीकी पहल

3524 # श्री बाबू राम निषाद:

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सहकारी समितियों की रैंकिंग रूपरेखा में डिजिटलीकरण और तकनीकी प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया है;
- (ख) क्या इससे डेटा संग्रहण और मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस तकनीकी पहल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

**सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)**

(क) और (ख) जी हाँ, मान्यवर। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की सहायता से भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) विकसित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए सहकारी समितियों के आंकड़ों को सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा एकत्र, दर्ज और डेटाबेस में अद्यतित किया जाता है। यह डेटाबेस देश भर के 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियों को सिंगल पॉइंट एक्सेस उपलब्ध करता है।

इस डेटाबेस का उपयोग करते हुए, सहकारी समितियों को क्षेत्रवार और राज्यवार रैंक प्रदान करने के लिए एक रैंकिंग संरचना को समाविष्ट किया गया है। राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयक (RCS) एनसीडी पोर्टल के माध्यम से 7 प्रमुख क्षेत्रों की सहकारी समितियों की रैंकिंग का सृजन कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) में आगे सुधार और कार्यात्मकता के साथ नए डेटा सेट जोड़े जाते हैं इस प्रकार यह सतत प्रक्रिया है।

(ग) सहकारी रैंकिंग अवसंरचना सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने, सहकारी समितियों को कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि, प्रदर्शन के लिए बेंचमार्क तथा प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रैंकिंग अवसंरचना सहकारी समितियों के भीतर पारदर्शिता, दक्षता और प्रभाव बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही उनकी विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में सुधार करेगा। इन रैंकिंग अवसंरचना का उपयोग उत्कृष्टता की मान्यता के रूप में प्रमुख क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने और कार्यशील सहकारी समितियों को सम्मानित करने के लिए किया जा सकता है।